SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
VOL. 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना एवं सम्राट अशोक के धम्म का सामाजिक प्रभाव: एक ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक शोध

किरन सरोहा, प्राध्यापिका, इतिहास विभाग, शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत

सार (Abstract)

यह शोध-पत्र मौर्य साम्राज्य (लगभग 321–185 ई.पू.) की प्रशासनिक संरचना और सम्राट अशोक (लगभग 268–232 ई.पू.) की धम्म-नीति के सामाजिक प्रभावों का एकीकृत अध्ययन है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अशोक का धम्म केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक परिवर्तन था, या विशाल, बहुभाषी और सामाजिक रूप से विविध साम्राज्य को नैतिक-वैचारिक सूत्र में बाँधने की प्रशासनिक रणनीति भी था। अध्ययन में अशोक के अभिलेखों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज़ के यूनानी-रोमन उद्धरणों और बौद्ध परंपरा के ग्रंथों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। साथ ही आधुनिक इतिहासलेखन के बौद्ध-परंपरागत, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, संशोधनवादी और उत्तर-औपनिवेशिक स्मृति-अध्ययन वाले दृष्टिकोणों की समीक्षा की गई है। निष्कर्ष यह है कि मौर्य प्रशासन अपेक्षाकृत विकसित, श्रेणीबद्ध और सूचना-आधारित तंत्र था, पर उसकी पहुँच क्षेत्र-विशेष के अनुसार असमान थी। अशोक ने कलिंग-युद्ध के बाद इस तंत्र में धम्म-महामात्र, राजुक-अधिकार और अनुसंयान (निरीक्षण-यात्रा) जैसे उपकरणों के सहारे नैतिक-कल्याणकारी आयाम जोड़ा। धम्म का सामाजिक प्रभाव सहिष्णुता, पशु-संरक्षण, जन-कल्याण, मानवीय दंड-नीति और पारिवारिक-सामाजिक आचार के क्षेत्रों में सबसे स्पष्ट दिखता है। फिर भी अभिलेख राज्य द्वारा निर्मित स्रोत हैं, इसलिए धम्म की वास्तविक सामाजिक स्वीकृति का माप सावधानी की माँग करता है।

कूट-शब्द: *मौर्य साम्राज्य; प्रशासन; अशोक; धम्म; अभिलेख; अर्थशास्त्र; धम्म-महामात्र; सामाजिक इतिहास*

1. प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य वह पहला राजनीतिक ढाँचा है जिसने हिमालय की तराई से दक्षिणी पठार तक और अफ़गानिस्तान के कंधार क्षेत्र से पूर्वी भारत तक के विस्तृत भू-भाग को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने का प्रयास किया [1]। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद-सत्ता के स्थान पर मगध का शासन सँभालने से लेकर अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या तक का यह काल भारतीय राज्य-निर्माण की प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ माना जाता है। इसमें सबसे चर्चित व्यक्तित्व अशोक हैं। कलिंग-विजय के बाद उन्होंने "धम्म-विजय" की अवधारणा अपनाई और अपने विचार पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाकर जनता तक पहुँचाए [1]।

मौर्य काल के अध्ययन में दो प्रकार के स्रोत विशेष महत्त्व रखते हैं। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो राज्य-संचालन का विस्तृत शास्त्रीय ग्रंथ है [2]। दूसरा अशोक के अभिलेख हैं, जो किसी भारतीय शासक के स्वयं जारी किए गए, सुपाठ्य और लगभग समकालीन प्रमाण हैं [3]। दोनों की प्रकृति भिन्न है। अर्थशास्त्र आदर्श और नियमन

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
VOL. 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

का पाठ है, जबकि अभिलेख शासक की सार्वजनिक घोषणाएँ हैं। इसलिए इनका तुलनात्मक अध्ययन ही मौर्य शासन की ठोस तस्वीर दे सकता है।

आधुनिक इतिहास में अशोक की पुनर्खोज उन्नीसवीं शताब्दी की घटना है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि की गुत्थी सुलझाने (1830 के दशक) और सिंहली पालि-वृत्तांतों से "देवानांपिय पियदसि" की पहचान अशोक के रूप में होने के बाद यह भूला हुआ सम्राट दोबारा इतिहास के केंद्र में आया। कर्नाटक के मस्की अभिलेख (1915) में "अशोक" नाम के प्रत्यक्ष उल्लेख ने इस पहचान पर मुहर लगाई [4]।

इस विषय पर विपुल साहित्य होते हुए भी अधिकांश अध्ययन प्रशासन और धम्म को अलग-अलग खानों में रखकर देखते हैं। समकालीन शोध, जैसे लाहिड़ी का अशोक-अध्ययन और ओलिवेल का अर्थशास्त्र-संबंधी कार्य, इन दोनों के अंतर्संबंध की ओर संकेत करता है [5,6]। यह शोध-पत्र इसी अंतराल को भरने का प्रयास है। इसके उद्देश्य हैं:

1. मौर्य प्रशासन के केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और नगर-स्तरीय ढाँचे का स्रोत-आधारित विवरण देना।
2. अशोक के अभिलेखों में झलकते प्रशासनिक परिवर्तनों को रेखांकित करना।
3. धम्म के स्वरूप और उसके विविध सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
4. इतिहासकारों के भिन्न दृष्टिकोणों की तुलनात्मक समीक्षा करना।

2. संबंधित शोध-समीक्षा (Review of Related Literature)

2.1 प्रारंभिक औपनिवेशिक एवं बौद्ध-केंद्रित व्याख्या। अशोक-अध्ययन की आरंभिक आधुनिक परंपरा में विंसेंट स्मिथ का कार्य उल्लेखनीय है। उन्होंने अशोक को "बौद्ध सम्राट" के रूप में प्रस्तुत किया और उनके जीवन को बौद्ध धर्म से गहरे जुड़े आदर्श शासक की कथा के रूप में देखा [7]। इस दृष्टि की शक्ति यह थी कि उसने अशोक को विश्व-इतिहास में स्थापित किया। उसकी सीमा यह थी कि धम्म को लगभग पूरी तरह बौद्ध धर्म का पर्याय मान लिया गया।

2.2 राष्ट्रवादी-आदर्शवादी परंपरा। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में राधाकुमुद मुखर्जी ने अशोक को आदर्श राजनेता-संत के रूप में चित्रित किया और धम्म को मानवता के सार्वभौमिक धर्म के रूप में देखा [8]। डी. आर. भंडारकर की कार्माइकल व्याख्यानमाला ने अभिलेखीय पाठ-आलोचना की परंपरा को सुदृढ़ किया [9]। के. ए. नीलकंठ शास्त्री द्वारा संपादित खंड ने नंद-मौर्य काल का व्यापक राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत किया और लंबे समय तक मानक संदर्भ बना रहा [10]। इस परंपरा में मौर्य साम्राज्य की एकता और गौरव पर विशेष बल है, जिससे केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन की छवि बनी।

2.3 मार्क्सवादी और सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण। डी. डी. कोसंबी ने भारतीय इतिहास को उत्पादन-संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मौर्य राज्य के आर्थिक आधार पर प्रश्न उठाए [11]। आर. एस. शर्मा ने राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के अध्ययन के साथ शूद्रों की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया पर काम किया [12,13]। इस धारा ने धम्म को केवल नैतिक आदर्श मानने के बजाय उसे तत्कालीन सामाजिक तनावों, नगरीकरण और व्यापारिक विस्तार के संदर्भ में समझने पर बल दिया।

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

2.4 संशोधनवादी दृष्टिकोण। रोमिला थापर की 1961 की कृति ने मौर्य इतिहासलेखन में मोड़ लाया [1]। उनका तर्क है कि धम्म को केवल बौद्ध धर्म से जोड़ना अपर्याप्त है, क्योंकि वह एक सामाजिक-नैतिक आचार-संहिता थी जो विविध समुदायों को साथ बाँधने के लिए गढ़ी गई थी। उन्होंने मौर्य पतन को केवल अशोक की अहिंसा से नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक दबावों से भी जोड़ा। फ़ुस्समान ने मौर्य केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की समस्या पर प्रश्न उठाकर इस विचार को चुनौती दी कि साम्राज्य समान रूप से केंद्रीकृत था [14]।

2.5 परंपरा और स्मृति का अध्ययन। जॉन स्ट्रॉन्ग ने अशोकावदान के पाठ का अध्ययन कर दिखाया कि बौद्ध परंपरा ने अशोक की छवि किस प्रकार गढ़ी और कहाँ तक वह ऐतिहासिक साक्ष्य से भिन्न है [15]। ओलिवेल, लियोशको और रे द्वारा संपादित संकलन "रीइमेजिनिंग अशोक" बताता है कि श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया, औपनिवेशिक भारत और आधुनिक राष्ट्र-राज्य में अशोक की स्मृति समय-समय पर कैसे बदलती रही [16]।

2.6 पाठ-आलोचना और समकालीन संश्लेषण। ट्रॉटमैन ने सांख्यिकीय पद्धति से अर्थशास्त्र की भाषा-शैली का विश्लेषण कर बताया कि यह ग्रंथ बहु-परतीय है और एक ही समय में एक लेखक द्वारा रचित नहीं माना जा सकता [17]। यह निष्कर्ष प्रशासनिक स्रोत के रूप में उसके उपयोग पर सावधानी सिखाता है। उपिंदर सिंह जैसे समकालीन इतिहासकारों ने साक्ष्य के विभिन्न स्तरों को संतुलित करते हुए मौर्य राज्य का समन्वित चित्र प्रस्तुत किया है [18]। थापर की बाद की रचना "अर्ली इंडिया" ने मौर्य राज्य के भौगोलिक-प्रशासनिक क्षेत्रों को समझने का ढाँचा और परिपक्व रूप में रखा [19]। लाहिड़ी ने पुरातात्त्विक और अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अशोक के जीवन-वृत्त का पुनर्पाठ किया [5]।

तालिका 1: प्रमुख शोध-धाराओं का सारांश

क्रम	दृष्टिकोण	प्रतिनिधि कार्य	केंद्रीय स्थापना	सीमा
1	बौद्ध-केंद्रित औपनिवेशिक	[7]	अशोक आदर्श बौद्ध सम्राट	धम्म का बौद्ध धर्म में सीमित पाठ
2	राष्ट्रवादी-आदर्शवादी	[8–10]	सार्वभौमिक धर्म; एकीकृत साम्राज्य	प्रशासनिक असमानता की उपेक्षा
3	मार्क्सवादी/सामाजिक-आर्थिक	[11–13]	धम्म सामाजिक तनावों की प्रतिक्रिया	नैतिक-आध्यात्मिक आयाम गौण
4	संशोधनवादी	[1,14,19]	धम्म सामाजिक-राजनीतिक एकीकरण का उपकरण; सीमित केंद्रीकरण	प्रभाव के प्रत्यक्ष प्रमाण कम
5	परंपरा/स्मृति-अध्ययन	[15,16]	अशोक की छवि युगानुसार निर्मित	ऐतिहासिक अशोक से दूरी
6	पाठ-आलोचनात्मक	[17]	अर्थशास्त्र बहुस्तरीय पाठ	तिथि-निर्धारण पर मतभेद

इस समीक्षा से स्पष्ट है कि शोध की मुख्य धाराएँ राज्य-संरचना और धम्म को साथ पढ़ने की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। इस शोध-पत्र की मौलिकता इसी समेकित विश्लेषण में है।

3. शोध-प्रश्न, परिकल्पना एवं पद्धति

शोध-प्रश्न:

- **प्र.1:** मौर्य प्रशासन का स्वरूप कितना केंद्रीकृत और संस्थागत था?
- **प्र.2:** अशोक के शासनकाल में प्रशासनिक ढाँचे में कौन-से नए तत्त्व जुड़े?
- **प्र.3:** धम्म ने किन सामाजिक समूहों और क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित किया?
- **प्र.4:** धम्म को केवल धार्मिक नीति मानना कहाँ तक उचित है?

परिकल्पनाएँ:

- **प1:** मौर्य प्रशासन श्रेणीबद्ध था, पर क्षेत्र-विशेष के अनुसार उसकी पकड़ असमान थी।
- **प2:** अशोक का धम्म प्रशासनिक उपकरणों से जुड़ा एक सामाजिक-नैतिक कार्यक्रम था।
- **प3:** धम्म का प्रभाव नीतिगत घोषणाओं में स्पष्ट है, पर जनसामान्य में उसकी गहराई के प्रमाण सीमित हैं।

पद्धति: अध्ययन गुणात्मक, ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक है। अभिलेखों का पाठ-विश्लेषण प्रचलित संस्करणों और अनुवादों के आधार पर किया गया [3,20,21]। अभिलेखों के स्थल, प्रकार और वितरण की जानकारी के लिए अशोक-स्थलों के स्रोत-संग्रह का उपयोग हुआ [22]। साहित्यिक स्रोतों, यूनानी विवरणों और आधुनिक शोध के साथ त्रिकोणीय तुलना (triangulation) की गई है। सीमा यह है कि अभिलेख राज्य-निर्मित हैं और अर्थशास्त्र आदर्श-मूलक है, इसलिए दोनों के निष्कर्ष सावधानी से पढ़े गए हैं।

4. स्रोत-विवेचन

4.1 अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख चट्टानों, स्वतंत्र स्तंभों और गुफाओं पर उत्कीर्ण हैं। इनमें चौदह वृहद् शिलालेख, लघु शिलालेख, कलिंग के पृथक् शिलालेख, सात स्तंभलेख और अनेक लघु स्तंभलेख तथा गुहालेख शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग तीन दर्जन अभिलेख-पाठ और अनेक स्थल हैं [3,20,22]। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर-पश्चिम में खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक का प्रयोग मिलता है। भाषा और लिपि की यह विविधता शासन की क्षेत्र-संवेदनशीलता का संकेत है।

4.2 अर्थशास्त्र। यह राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सप्तांग-अवधारणा पर आधारित राज्य-संचालन का ग्रंथ है। कांगले के आलोचनात्मक संस्करण और अनुवाद ने इसके अध्ययन का आधार तैयार किया [2], और ओलिवेल का नया अनुवाद पाठ की तिथि व संरचना पर अद्यतन मत रखता है [6]। तिथि पर मतभेद है।

कुछ विद्वान इसकी मूल परतों को मौर्यकालीन मानते हैं, जबकि अन्य इसे बाद की शताब्दियों में संकलित मानते हैं [6,17]। इसलिए इसके प्रत्येक विवरण को सीधे मौर्य-यथार्थ के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

4.3 यूनानी-रोमन विवरण। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज़ की "इंडिका" मूल रूप में लुप्त है। उसके अंश स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन और प्लिनी जैसे परवर्ती लेखकों के उद्धरणों में बचे हैं और मैक्क्रिंडल के संकलन में उपलब्ध हैं [23]। ये विवरण पाटलिपुत्र के नगर-प्रशासन, सैन्य-संगठन और समाज की झलक देते हैं, पर विदेशी दृष्टि और द्वितीयक उद्धरण होने के कारण त्रुटि की संभावना बनी रहती है।

4.4 बौद्ध परंपरा। सिंहली वृत्तांत (दीपवंश, महावंश) और उत्तरी परंपरा का अशोकावदान अशोक के जीवन की कथाएँ सुनाते हैं, जैसे तृतीय बौद्ध संगीति और महेंद्र का श्रीलंका-गमन [4,15]। ये ग्रंथ अशोक की स्मृति को समझने में उपयोगी हैं, पर अभिलेखों की तुलना में इनका ऐतिहासिक भार कम है। बौद्ध परंपरा के कई कथानक अभिलेखों में अनुपस्थित हैं।

5. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ई.पू. के आसपास पाटलिपुत्र की सत्ता सँभाली। परंपरा के अनुसार कौटिल्य (चाणक्य) इस सत्ता-परिवर्तन के सूत्रधार थे। सिकंदर के बाद उत्तर-पश्चिम की राजनीतिक रिक्तता और सेल्यूकस से हुई संधि (लगभग 305 ई.पू.) ने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सुदृढ़ की। बिंदुसार के काल में साम्राज्य का और विस्तार हुआ। अशोक के राज्याभिषेक के लगभग आठवें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ, जो उनके वृहद् शिलालेख XIII में वर्णित है। साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार का अनुमान विद्वानों ने कई तरह से लगाया है। एक चर्चित अनुमान इसे ऐतिहासिक साम्राज्यों की विस्तार-अवधि की तुलनात्मक सारणी में लगभग 30 लाख वर्ग किमी से ऊपर रखता है [24]। ऐसे अनुमान सीमा-निर्धारण की मान्यताओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें सांकेतिक मानना चाहिए [25]।

तालिका 2: मौर्य काल एवं अशोक का संक्षिप्त कालक्रम (लगभग तिथियाँ)

समय	घटना	मुख्य स्रोत
लगभग 321 ई.पू.	चंद्रगुप्त द्वारा मगध पर अधिकार	[2,10]
लगभग 305 ई.पू.	सेल्यूकस से संधि; 500 हाथी का आदान-प्रदान	[23]
लगभग 297 ई.पू.	बिंदुसार का राज्यारोहण (परंपरागत)	[10]
लगभग 268 ई.पू.	अशोक का राज्याभिषेक	[3]
राज्याभिषेक का 8वाँ वर्ष	कलिंग-युद्ध	[3]
10वाँ वर्ष	सम्बोधि (बोधगया) की यात्रा	[3]
12वाँ वर्ष	धम्म-लिपि का आरंभ; आजीविकों को गुहा-दान	[3]
13वाँ वर्ष	धम्म-महामात्रों की नियुक्ति	[3]
20वाँ वर्ष	लुम्बिनी की यात्रा; कर-रियायत	[3]

26वाँ वर्ष	कैदियों की वार्षिक रिहाई-प्रणाली का उल्लेख	[3]
लगभग 185 ई.पू.	बृहद्रथ की हत्या; शुंग सत्ता	[10,18]

6. मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना

6.1 सैद्धांतिक आधार: सप्तांग राज्य

अर्थशास्त्र राज्य को सात अंगों की समन्वित इकाई मानता है: स्वामी (राजा), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र [2]। इस दृष्टि में प्रशासन केवल आदेश देने की कला नहीं, बल्कि अंगों के परस्पर संतुलन का प्रबंधन है। राजा शासन के केंद्र में है, पर उसकी शक्ति अमात्यों, कोष और सेना की सुव्यवस्था पर निर्भर करती है।

6.2 केंद्रीय प्रशासन

अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों के समूह को "अठारह तीर्थ" कहा गया है। इनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता (राजस्व-प्रमुख), संनिधाता (कोषाध्यक्ष), प्रदेष्टा (न्याय-दंड अधिकारी), नायक, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतपाल जैसे पद हैं [2]। मंत्रिपरिषद राजा को परामर्श देती थी। अशोक के अभिलेखों में भी "परिषा" (परिषद) का उल्लेख मिलता है, जिसे नीतिगत विषयों पर निर्देश देने या उन पर विचार करने वाली संस्था के रूप में समझा जाता है [3]।

वेतन-ढाँचा इस श्रेणीबद्धता का ठोस संकेत देता है। अर्थशास्त्र (5.3) के अनुसार सर्वोच्च अधिकारियों (जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज) का वार्षिक वेतन 48,000 पण तक और निचले कर्मचारियों का 60 पण तक निर्धारित है [2]। इस प्रकार शीर्ष और निम्न वेतन का अनुपात लगभग 800:1 बनता है। यह आँकड़ा उच्च-स्तरीय अभिजात वर्ग और निचली नौकरशाही के बीच आर्थिक खाई को दिखाता है, हालाँकि विभिन्न अनुवादों में पदनामों और अंकों के पाठ पर सूक्ष्म भेद मिलते हैं [26]।

तालिका 3: अर्थशास्त्र में वर्णित वेतन-स्तर (पण, वार्षिक; सांकेतिक)

श्रेणी	**उदाहरण पद**	**वार्षिक वेतन (पण)**
सर्वोच्च	मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज	48,000
उच्च	समाहर्ता, संनिधाता, प्रशास्ता आदि	24,000
मध्यम-उच्च	नायक, पौर-व्यवहारिक, कार्मान्तिक आदि	12,000
निम्न	सामान्य कर्मचारी	60 (न्यूनतम)

6.3 विभागीय संगठन और अध्यक्ष-व्यवस्था

अर्थशास्त्र का "अध्यक्ष-प्रचार" खंड राज्य के आर्थिक और तकनीकी विभागों का व्यापक ढाँचा देता है। कोष्ठागार (अन्न-भंडार), पण्य (व्यापार), खान, लवण, सुवर्ण, लक्षण (टकसाल), सीता (राजकीय कृषि), गौ, अश्व, हस्ती, नौ

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

(जहाज़), गणिका, सुरा, बूचड़खाने और तौल-माप जैसे विभागों के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का विधान है [2]। इसका अर्थ है कि राज्य केवल कर-संग्राहक नहीं, बल्कि उत्पादन, विनिमय और मानकीकरण में सक्रिय हस्तक्षेपकर्ता था।

6.4 प्रांतीय प्रशासन

अशोक के अभिलेख साम्राज्य के कई प्रमुख प्रांतीय केंद्रों का संकेत देते हैं। तक्षशिला (उत्तरापथ), उज्जयिनी (पश्चिम/अवंति), तोसली (कलिंग), सुवर्णगिरि (दक्षिणापथ) और पाटलिपुत्र-मगध का केंद्रीय क्षेत्र मुख्य हैं। इन प्रांतों में अक्सर "कुमार" (राजकुल के सदस्य) प्रशासक के रूप में नियुक्त होते थे, जिनकी सहायता महामात्र करते थे [3,18]। यह व्यवस्था केंद्र और प्रांत के बीच निष्ठा और नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रयास दिखाती है।

6.5 नगर-प्रशासन: पाटलिपुत्र

मेगस्थनीज़ के अंशों के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन तीस सदस्यों की एक समिति के हाथ में था। यह पाँच-पाँच सदस्यों की छह उप-समितियों में बँटी थी। उनके कार्य क्रमशः उद्योग-शिल्प, विदेशियों की देखभाल, जन्म-मृत्यु के पंजीकरण, व्यापार-वाणिज्य, निर्मित वस्तुओं की बिक्री और बिक्री-कर के संग्रह से जुड़े बताए गए हैं [23,27]। इसी प्रकार सैन्य-प्रशासन भी छह समितियों में बँटा बताया गया है, जो नौसेना, परिवहन-रसद, पैदल सेना, अश्वारोही, रथ और हस्ती-सेना का प्रबंध करती थीं। इस प्रकार $6 \times 5 = 30$ सदस्यों की नागरिक और उतनी ही सैन्य समिति मिलाकर कुल 60 अधिकारियों की व्यवस्था का चित्र बनता है [23]। इससे यह भी संकेत मिलता है कि नगर-शासन में सामूहिक निर्णय की परंपरा थी। पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन यूनानी स्रोतों में काष्ठ-प्राचीर, अनेक बुर्जों और द्वारों के साथ मिलता है, और पुरातात्त्विक उत्खनन (कुम्रहार, बुलंदीबाग) में लकड़ी की प्राचीर तथा स्तंभयुक्त सभा-भवन के अवशेष इस स्मृति को आंशिक समर्थन देते हैं [22,27]।

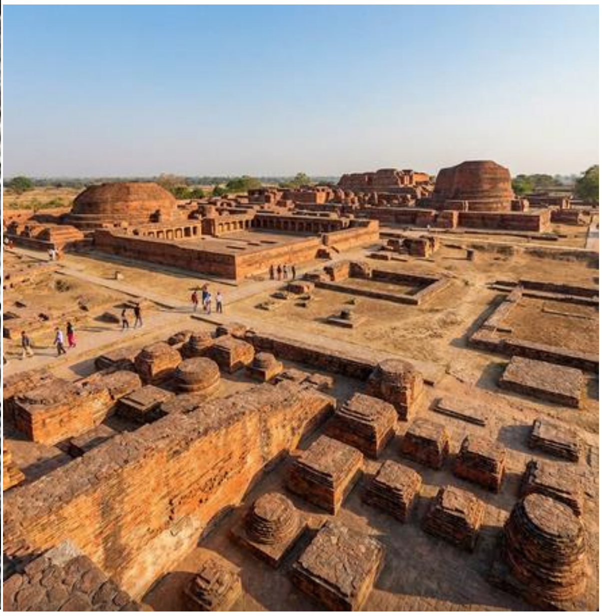

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
VOL. 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

चित्र 1: कुम्रहार (पटना), प्राचीन पाटलिपुत्र के स्तंभयुक्त सभा-भवन के अवशेष। (चित्र-स्रोत: वेब-छवि खोज; अंतिम पांडुलिपि में उपयोग से पहले लाइसेंस/अनुमति जाँच लें।)

6.6 ग्राम एवं जनपद प्रशासन

अर्थशास्त्र (2.1) में जनपद-संगठन की एक आदर्श योजना मिलती है: 800 गाँवों के बीच "स्थानीय", 400 के बीच "द्रोणमुख", 200 के बीच "खार्वटिक" और 100 के बीच "संग्रहण" नामक केंद्र बसाने का उल्लेख है [2]। गाँव सामान्यतः 100 से 500 परिवारों के बताए गए हैं, जिनमें शूद्र कृषकों की प्रमुखता है। इस योजना के पीछे स्पष्ट प्रशासनिक तर्क दिखता है: राजस्व-संग्रह, न्याय और सुरक्षा के लिए स्तरीकृत केंद्रों का जाल। ग्राम-स्तर पर "गोप" (कुछ गाँवों का लेखा रखने वाला) और "स्थानिक" जैसे अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। यह जनगणना, भू-अभिलेख और कर-निर्धारण की संस्थागत अपेक्षा का संकेत है। आर्थिक-प्रशासनिक इतिहासकार इसे राज्य द्वारा सूचना-संग्रह की प्रवृत्ति के प्रमाण के रूप में पढ़ते हैं [12,28]।

6.7 न्याय-व्यवस्था

अर्थशास्त्र (3.1) के अनुसार विधि के चार आधार हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र (संस्था) और राजशासन [2]। "धर्मस्थीय" न्यायालयों का संचालन धर्मस्थ (विधिवेत्ता) और अमात्यों के सम्मिलित निकाय द्वारा होता था। इन न्यायालयों का उल्लेख स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक और जनपद-संधि जैसे केंद्रों पर मिलता है। इसके साथ "कंटक-शोधन" (राज्य-

विरोधी और अपराधी तत्त्वों का निवारण) का पृथक् विधान भी है, जो पुलिस और न्यायिक शक्ति के समन्वय को दर्शाता है [2]। अशोक के अभिलेखों में "नगलक-व्यवहालक महामात्र" (नगर-न्यायिक अधिकारी) का उल्लेख इस न्यायिक तंत्र की व्यावहारिक झलक है [3]।

6.8 राजस्व एवं अर्थव्यवस्था

राज्य की आय का आधार भूमि-राजस्व था। अर्थशास्त्र में "भाग" (उपज का सामान्यतः छठा हिस्सा), "बलि" और "प्रणय" जैसे करों का उल्लेख है, और राजकीय भूमि (सीता) पर सीधी खेती का भी [2]। यूनानी विवरणों में कहीं-कहीं अधिक अनुपात के कर की ओर संकेत मिलता है, जो स्रोतों की भिन्नता और स्थानीय विविधता का उदाहरण है [23]। मौर्य अर्थव्यवस्था में आहत (पंच-मार्क) सिक्कों का व्यापक प्रचलन, राजकीय टकसाल, तौल-माप का मानकीकरण और राजपथों का विकास वाणिज्य को बल देते थे। इस ढाँचे में राज्य की भूमिका इतनी प्रभावशाली मानी गई है कि कुछ इतिहासकार इसे "राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था" की संज्ञा देते हैं [28]। दूसरी ओर, यह भी माना जाता है कि यह नियंत्रण सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं था [14]।

6.9 गुप्तचर-तंत्र और सूचना-व्यवस्था

अर्थशास्त्र में गुप्तचर-व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। "संस्था" (एक स्थान पर स्थित) और "संचार" (भ्रमणशील) गुप्तचरों की दो श्रेणियाँ हैं, जिनमें कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस जैसे विविध वेश-धारी शामिल हैं [2]। इस तंत्र के दो उद्देश्य बताए गए हैं: राज्य-विरोधी गतिविधियों की जानकारी और अधिकारियों की निगरानी। अशोक के छठे शिलालेख में "प्रतिवेदक" (सूचना देने वाले) का उल्लेख इस बात का संकेत है कि नागरिकों की बातें और आवश्यकताएँ राजा तक तुरंत पहुँचाने की व्यवस्था थी [3]। अशोक ने इसे जासूसी के बजाय जन-हित की सूचना के रूप में प्रस्तुत किया।

6.10 सेना

प्लिनी के माध्यम से बचे मेगस्थनीज़ के एक अंश में प्राची (मगध) राज्य की सेना के लिए लगभग 6 लाख पैदल, 30 हज़ार घुड़सवार और 9 हज़ार हाथियों का उल्लेख है [23]। ये संख्याएँ अतिरंजित हो सकती हैं, पर वे यह अवश्य बताती हैं कि विशाल स्थायी सेना का विचार समकालीन विदेशी पर्यवेक्षकों को भी विस्मित करता था। इतनी बड़ी सेना का भरण-पोषण नियमित राजस्व, रसद-व्यवस्था और नौकरशाही की माँग करता था। यह साम्राज्य के दबावों की ओर भी संकेत करता है, जिसकी चर्चा थापर ने मौर्य पतन के संदर्भ में की है [1]।

6.11 केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण: एक आलोचनात्मक टिप्पणी

परंपरागत छवि में मौर्य राज्य लगभग पूर्णतः केंद्रीकृत नौकरशाही-शासन है [10]। परंतु थापर द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र-आधारित वर्गीकरण के अनुसार साम्राज्य में कम-से-कम तीन प्रकार के क्षेत्र थे [1,19]:

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
VOL. 2, ISSUE 6, DECEMBER 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

1. **महानगरीय क्षेत्र (मगध और उसके आसपास):** यहाँ सबसे सघन प्रशासनिक नियंत्रण था।
2. **विजित क्षेत्रों के केंद्रक-क्षेत्र (प्रांतीय राजधानियाँ और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण इलाके):** यहाँ राजकीय अधिकारी और सैन्य उपस्थिति थी।
3. **परिधीय और जनजातीय/वन क्षेत्र:** यहाँ नियंत्रण अपेक्षाकृत ढीला था और स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता बनी रहती थी।

फ़ुस्समान भी साम्राज्य की एकरूप केंद्रीयता पर संदेह प्रकट करते हैं [14]। अशोक के अभिलेख इसका समर्थन करते हैं। वृहद् शिलालेख XIII में वन-जनजातियों (आटविक) को चेतावनी और अनुनय दोनों दिए गए हैं, जिससे लगता है कि इन समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था [3]। अतः मौर्य प्रशासन को "पूर्ण केंद्रीकृत" या "पूर्ण विकेंद्रित" कहने के बजाय बहु-स्तरीय और क्षेत्र-भेदी कहना अधिक उपयुक्त है। यह निष्कर्ष प1 की पुष्टि करता है। समकालीन इतिहासलेखन में अर्थशास्त्र की तिथि और मौर्य वास्तविकता से उसके संबंध पर बहस इस सावधानी को और मज़बूत करती है [17,29]।

चित्र 2: मौर्य प्रशासनिक पदानुक्रम (संकल्पनात्मक रेखाचित्र; अभिलेखों और अर्थशास्त्र पर आधारित)

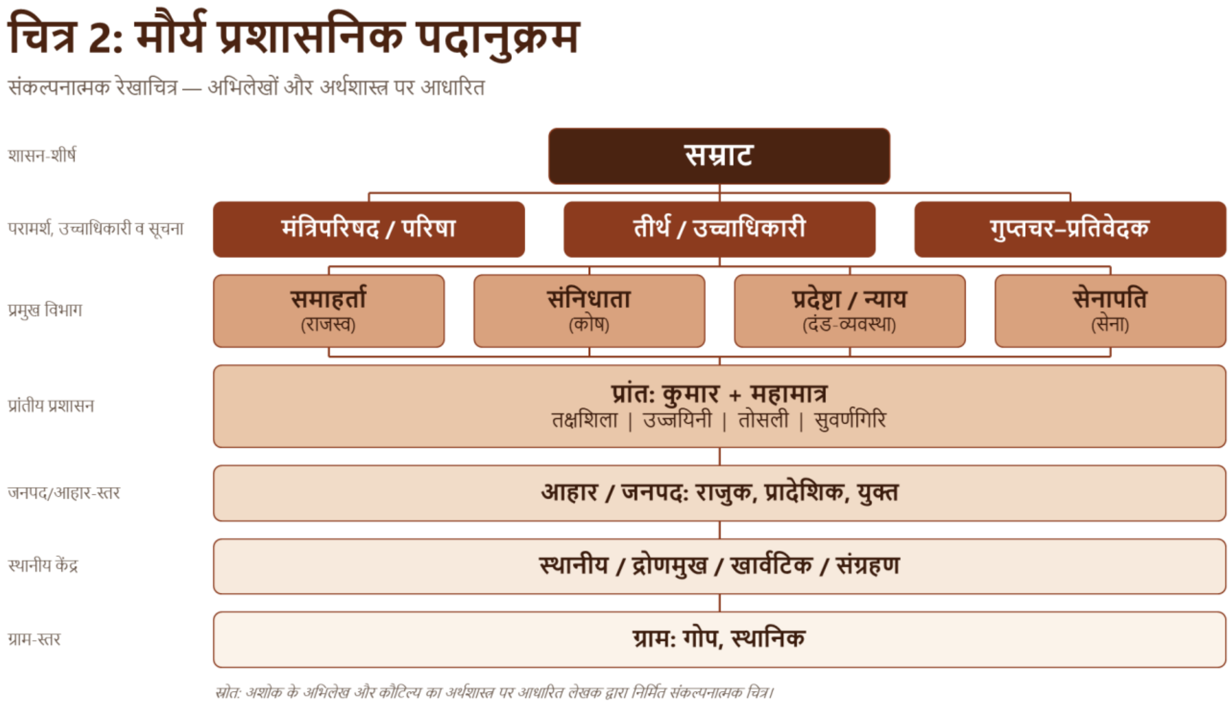

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

7. अशोक के अभिलेखों में प्रशासनिक नवाचार

अशोक ने विरासत में मिले ढाँचे में तीन प्रकार के परिवर्तन किए।

पहला, अधिकारियों की नैतिक जवाबदेही और नियमित निरीक्षण। वृहद् शिलालेख III में युक्त, राजुक और प्रादेशिक को हर पाँचवें वर्ष अपने क्षेत्रों में "अनुसंयान" (निरीक्षण-यात्रा) पर जाने का आदेश है, और इस यात्रा में सामान्य प्रशासनिक कार्य के साथ धम्म-उपदेश भी शामिल है [3]। इस प्रकार निरीक्षण की एक प्रशासनिक पद्धति को नैतिक शिक्षा के वाहक में बदल दिया गया।

दूसरा, राजुकों को अधिकार और न्यायिक समानता। स्तंभलेख IV में लाखों लोगों पर नियुक्त राजुकों को पुरस्कार और दंड देने की स्वायत्तता दी गई है, ताकि वे बिना भय के जनहित में कार्य करें। इसी लेख में न्याय-प्रक्रिया में "व्यवहार-समता" और "दंड-समता" पर बल है, और मृत्युदंड प्राप्त बंदियों को तीन दिन का अवकाश देने का प्रावधान है, ताकि वे परिजनों से मिल सकें या पुण्य-कर्म कर सकें [3]। मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया, पर उसमें मानवीय हस्तक्षेप जोड़ा गया, जो अशोक की नीति की व्यावहारिक सीमा और संवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है।

तीसरा, धम्म-महामात्रों की नई श्रेणी। वृहद् शिलालेख V के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धम्म-महामात्र नियुक्त किए। इनका दायित्व सभी संप्रदायों, ब्राह्मणों, श्रमणों, गृहस्थों, बंदियों, वृद्धों और सीमावर्ती जनों (यवन, कांबोज, गांधार, राष्ट्रिक, पितिनिक आदि) के बीच धम्म की स्थापना और उनके कल्याण का ध्यान रखना था [3]। स्त्री-अध्यक्ष महामात्र (इथिझख महामात्र) और वचभूमिक जैसे पदों का उल्लेख शिलालेख XII में मिलता है [3]।

तालिका 4: अभिलेखों में उल्लिखित प्रमुख प्रशासनिक पद

पद	प्रमुख कार्य/उल्लेख	संबंधित लेख
महामात्र	सामान्य उच्चाधिकारी; प्रांतीय व नगर-प्रशासन में सहायक	वृहद् शि. V, VI; कलिंग पृथक् लेख
राजुक	जनपदीय शासन-न्याय; लाखों जनों पर उत्तरदायित्व	वृहद् शि. III; स्तंभलेख IV
प्रादेशिक	मंडल-स्तरीय अधिकारी; अनुसंयान	वृहद् शि. III
युक्त	निचले स्तर के कार्यकारी/लेखा-अधिकारी	वृहद् शि. III
प्रतिवेदक	सूचना-वाहक; राजा को शीघ्र सूचना	वृहद् शि. VI
धम्म-महामात्र	धम्म-प्रसार, सभी संप्रदायों व वंचितों का कल्याण	वृहद् शि. V, XII; स्तंभलेख VII
नगलक-व्यवहालक महामात्र	नगर-न्यायिक अधिकारी	कलिंग पृथक् लेख
इथिझख-महामात्र	स्त्रियों से संबंधित दायित्व	वृहद् शि. XII

वृहद् शिलालेख VI का यह संदेश भी उल्लेखनीय है कि राजा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर जनता से संबंधित कार्य सुनने को तत्पर है, और वह लोक-कल्याण के लिए निरंतर उद्यम को कर्तव्य मानता है [3]। यह शासकीय प्रतिबद्धता की घोषणा है। इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन कितना हुआ, यह अलग प्रश्न है, पर यह वैचारिक परिवर्तन की स्पष्ट सूचना है। कलिंग के पृथक् शिलालेखों में अशोक स्वयं को पिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सभी प्रजाजनों को संतान की तरह कहते हैं, जिसे विद्वान "पितृवत् राजत्व" की अभिव्यक्ति मानते हैं [1,3]।

8. अशोक का धम्म: स्वरूप एवं विकास

8.1 कलिंग-युद्ध और परिवर्तन

वृहद् शिलालेख XIII में अशोक कलिंग-विजय के बाद पश्चात्ताप और खेद की भावना का वर्णन करते हैं। लेख के अनुसार लगभग 1,50,000 लोगों को निर्वासित किया गया, लगभग 1,00,000 मारे गए और इससे कई गुना संख्या में लोग मरे [3]। इन आँकड़ों को अक्षरशः गिनना कठिन है, क्योंकि ये अभिलेखीय आलंकारिकता का भाग हो सकते हैं। फिर भी इनसे इतना स्पष्ट है कि केवल निर्वासित और मारे गए लोगों को जोड़ें तो कम-से-कम ढाई लाख लोग सीधे प्रभावित हुए। इस जनहानि ने अशोक की राजनीतिक कल्पना बदल दी और "धम्म-विजय" की अवधारणा सामने आई। यह विजय शस्त्र से नहीं, नैतिक प्रभाव और सद्भाव से प्राप्त की जानी थी। अशोक ने इसे अपने पड़ोसी यवन-राज्यों तक (पाँच यवन राजाओं का उल्लेख, जिनकी पहचान प्रायः अंतियोकस, तुरमय, अंतिकिनि, मग और अलिकसुंदर के रूप में की जाती है) और दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी तक फैला बताया है [3]।

आगे के अभिलेख-लेखन में इस परिवर्तन की झलक मिलती है, इसलिए एक प्रतिनिधि अभिलेख-स्थल का चित्र देखना उपयोगी होगा।

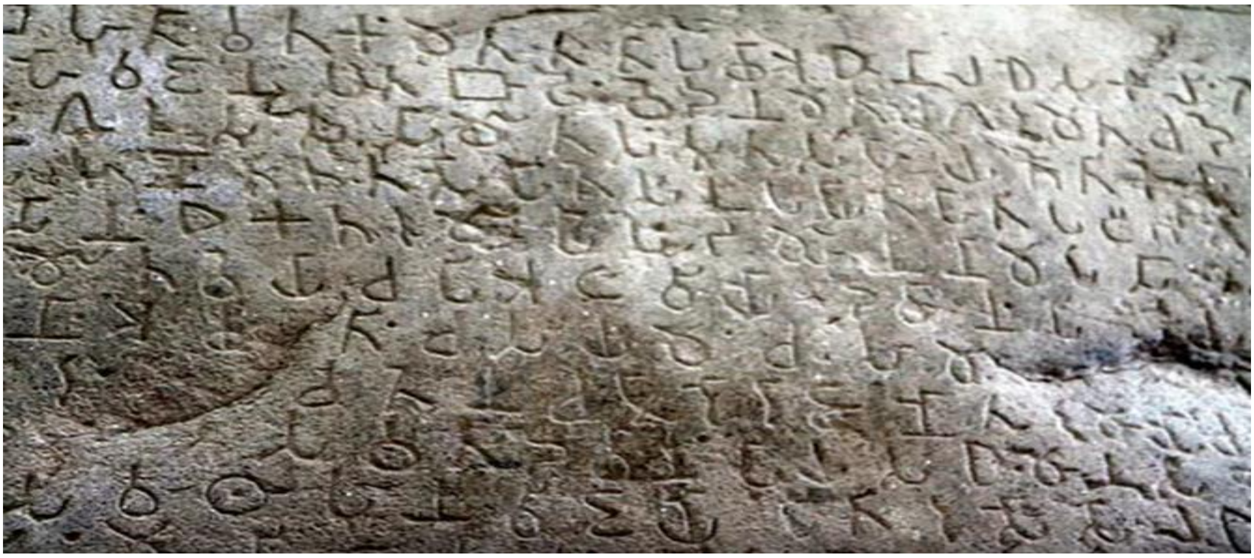

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

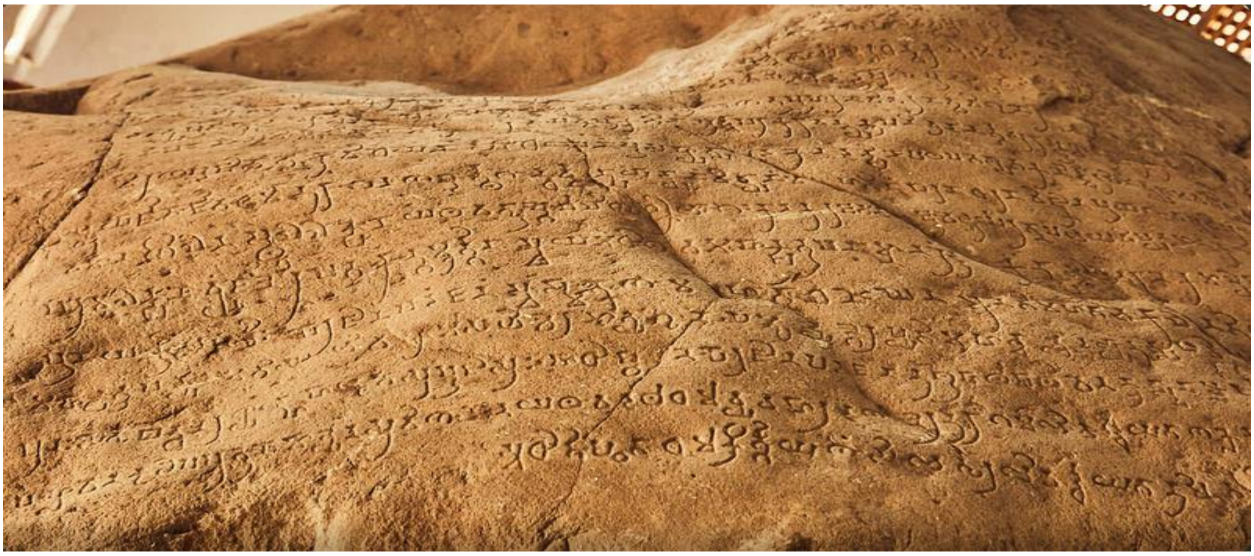

चित्र 3: गिरनार (जूनागढ़, गुजरात) स्थित अशोक का वृहद् शिलालेख, पश्चिमी भारत में धम्म-संदेश का प्रतिनिधि अभिलेख-स्थल। (चित्र-स्रोत: वेब-छवि खोज; अंतिम पांडुलिपि में उपयोग से पहले लाइसेंस/अनुमति जाँच लें।)

8.2 धम्म की अवधारणा

अशोक ने धम्म की स्वयं-परिभाषा स्तंभलेख II में दी है। धम्म का अर्थ है कम दोष और अधिक कल्याणकारी कर्म, अर्थात् दया, दान, सत्य और शुचिता [3]। स्तंभलेख III में आत्म-निरीक्षण का आग्रह है, जहाँ व्यक्ति को अपने भीतर क्रूरता, कठोरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या जैसे आस्रवों (दोषों) की पहचान करनी है [3]। इससे स्पष्ट है कि धम्म में केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक नैतिक अनुशासन भी है।

वृहद् शिलालेख XII और VII में धम्म का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष सांप्रदायिक सहिष्णुता है। अशोक सभी संप्रदायों के सम्मान और वाणी-संयम की बात करते हैं, और कहते हैं कि अपने संप्रदाय की अनावश्यक प्रशंसा तथा दूसरे की

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि परस्पर आदर से ही सबके सार की वृद्धि होती है [3]। यह विचार बहुधार्मिक समाज के लिए एक प्रशासनिक सिद्धांत का रूप धारण करता है।

धम्म और बौद्ध धर्म का संबंध जटिल है। लघु शिलालेख I (मस्की, गुजर्रा आदि) में अशोक स्वयं को बौद्ध उपासक बताते हैं और संघ के निकट आने का उल्लेख करते हैं। भाब्रा (बैराट) अभिलेख में वे बौद्ध संघ को संबोधित करते हैं और कुछ धर्म-पर्यायों के पठन की सलाह देते हैं [3]। फिर भी वृहद् शिलालेखों और स्तंभलेखों में चतुआर्यसत्य, निर्वाण या अष्टांगिक मार्ग जैसे विशिष्ट बौद्ध सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। इस कारण अनेक इतिहासकार धम्म को सार्वजनिक नैतिकता की ऐसी संहिता मानते हैं जो बौद्ध प्रेरणा से उपजी, पर विशिष्ट संप्रदाय-निरपेक्ष थी [1,18]।

कंधार के यूनानी-अरामाइक द्विभाषी अभिलेखों ने इस बहस में नया आयाम जोड़ा। इनमें धम्म के लिए यूनानी शब्द "यूसेबिया" (श्रद्धा/धर्मपरायणता/नैतिक आचरण) का प्रयोग हुआ, जिससे प्रतीत होता है कि अशोक ने धम्म को यूनानी-भाषी प्रजा के लिए अनुवाद-योग्य सार्वभौमिक नैतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया [30]। यह धम्म की संप्रदाय-निरपेक्ष प्रकृति के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण भाषाई संकेत है।

8.3 धम्म-नीति के प्रमुख तत्त्व

तालिका 5: वृहद् शिलालेखों के विषय-वार मानचित्र

शिलालेख	मुख्य विषय
I	पशु-वध पर नियंत्रण; समाज (उत्सव-समारोह) पर प्रतिबंध; राजकीय रसोई में जीव-हिंसा में कटौती
II	मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा; औषधि-रोपण, कुएँ, वृक्षारोपण; सीमावर्ती राज्यों में भी सेवा
III	अनुसंयान; ब्राह्मण-श्रमण को दान; अल्प-व्यय, अल्प-संचय की सलाह
IV	धम्म-घोष (धम्म की घोषणा) बनाम भेरी-घोष; माता-पिता की सेवा; अहिंसा
V	धम्म-महामात्र की नियुक्ति; वंचित और बंदी-कल्याण
VI	प्रतिवेदक; शीघ्र जन-सुनवाई; लोकहित की प्राथमिकता
VII	सभी संप्रदायों का सह-अस्तित्व; आत्मसंयम, शुचिता
VIII	विहार-यात्राओं की जगह धम्म-यात्रा; संबोधि-गमन; वृद्ध-दर्शन
IX	निरर्थक कर्मकांडों (विशेषतः स्त्री-मंगल आदि) की आलोचना; धम्म-मंगल की बात
X	कीर्ति की अपेक्षा धम्म का महत्त्व
XI	धम्म-दान, धम्म-संस्तव, धम्म-विभाग की व्याख्या
XII	संप्रदाय-सहिष्णुता; इथिझख-महामात्र, वचभूमिक
XIII	कलिंग-युद्ध, पश्चात्ताप, धम्म-विजय
XIV	समापन: अभिलेखों की संक्षिप्त/विस्तृत शृंखला का उल्लेख

स्रोत: अभिलेख-संग्रह और अनुवादों के आधार पर लेखक द्वारा विषयगत संकलन [3,20,21]।

तालिका 6: अशोक के धम्म-प्रशासन के मुख्य उपाय (प्रमुख ठोस कदम)

क्षेत्र	उपाय	अभिलेखीय आधार
पशु-संरक्षण	कुछ पशु-पक्षियों के वध और विशिष्ट तिथियों पर वध-निषेध; राजकीय रसोई में कटौती	वृहद् शि. I; स्तंभलेख V
स्वास्थ्य	मनुष्य और पशु-चिकित्सा; औषधीय पौधे	वृहद् शि. II
जन-सुविधा	मार्गों पर वृक्षारोपण, आम्र-वाटिकाएँ, कुएँ, विश्रामगृह	वृहद् शि. II; स्तंभलेख VII
न्याय	दंड-समता, व्यवहार-समता; मृत्युदंड-प्राप्त को तीन दिन की मोहलत	स्तंभलेख IV
कारागार-नीति	बंदियों की वार्षिक रिहाई (26 वर्षों में 25 बार)	स्तंभलेख V
कर-रियायत	लुम्बिनी को बलि से मुक्ति और भाग घटाकर आठवाँ हिस्सा	रुम्मिनदेई स्तंभलेख
धार्मिक सहिष्णुता	सभी संप्रदायों को आदर और दान	वृहद् शि. VII, XII; स्तंभलेख VII
सूचना/संवाद	प्रतिवेदक; धम्म-घोष; अभिलेख-प्रदर्शन	वृहद् शि. VI, IV

9. धम्म का सामाजिक प्रभाव

9.1 पारिवारिक और सामाजिक आचार

अशोक के अनेक अभिलेख माता-पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर, मित्र-परिचितों-संबंधियों के प्रति उदारता और ब्राह्मण-श्रमणों को दान की प्रेरणा देते हैं [3]। उल्लेखनीय बात यह है कि उनमें "दास और भृतक (वेतनभोगी)" के प्रति उचित व्यवहार की अपील भी शामिल है। यह उस समय के सामाजिक स्तरीकरण में निम्न-स्थित समूहों के प्रति नैतिक दायित्व की स्वीकृति है। बौद्ध सामाजिक चिंतन की भूमिका को समझने के लिए उमा चक्रवर्ती का अध्ययन इस पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है [31]। यदि इन अपीलों का जनमानस पर प्रभाव पड़ा, तो वह परिवार और जाति-आधारित निष्ठाओं के ऊपर एक साझा नैतिक भाषा के निर्माण के रूप में दिखता है। पर प्रत्यक्ष सामाजिक आँकड़ों के अभाव में इसे प्रमाणित करना कठिन है।

9.2 धार्मिक सहिष्णुता और संप्रदाय-संबंध

अशोक ने केवल बौद्ध संघ को नहीं, ब्राह्मणों, आजीविकों और निर्ग्रंथों (जैनों) को भी राजकीय संरक्षण दिया। बराबर की गुफाएँ (सुदामा, विश्व-झोपड़ी आदि), जो अशोक के शासन के बारहवें और उन्नीसवें वर्ष में आजीविकों को दान की गईं, इस नीति का पुरातात्त्विक प्रमाण हैं [3,22]। स्तंभलेख VII में धम्म-महामात्रों को संघ, ब्राह्मण, आजीविक

और निर्ग्रंथ सभी की देखभाल का कार्य सौंपे जाने का उल्लेख है [3]। इससे स्पष्ट है कि धम्म को साम्प्रदायिक तनाव कम करने का साधन बनाया गया था। कौशाम्बी, सारनाथ और साँची के "संघ-भेद" संबंधी अभिलेख में संघ में फूट डालने वालों के लिए कठोर चेतावनी है, जो बौद्ध समुदाय में भी अनुशासन बनाए रखने की राजकीय चिंता दिखाता है [3]।

9.3 पशु-संरक्षण, आहार और कर्मकांड पर प्रभाव

वृहद् शिलालेख I में अशोक बताते हैं कि पहले उनकी रसोई में प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में प्राणियों का वध होता था, पर अब केवल तीन (दो मोर और एक हिरण) मारे जाते हैं, और वह हिरण भी सदा नहीं। आगे वे इन्हें भी बंद करने का संकल्प दर्शाते हैं [3]। इसी शिलालेख में यज्ञ-हेतु पशु-वध पर प्रतिबंध और "समाज" (सामाजिक जमावड़े/उत्सव) पर नियंत्रण का उल्लेख भी है। स्तंभलेख V में पक्षियों, मछलियों और कई पशु-प्रजातियों को अवध्य घोषित किया गया है और कुछ तिथियों पर वध-निषेध लगाया गया है [3]। इन नीतियों से पशुपालन-आधारित कृषि-अर्थव्यवस्था में गोधन और अन्य पशुओं की सुरक्षा को बल मिला होगा, हालाँकि इसका स्थानीय अनुपालन अज्ञात है। यह प्रश्न भी विवाद का विषय रहा कि इस नीति ने पुरोहित-वर्ग को कितना प्रभावित किया (इस पर §10.4 में चर्चा है)।

9.4 जन-कल्याण और अवसंरचना

अशोक की कल्याणकारी परियोजनाएँ ठोस अवसंरचना के रूप में सामने आती हैं। शिलालेख II में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा, औषधीय जड़ी-बूटियों के रोपण, मार्गों पर वृक्ष और कुएँ खुदवाने का उल्लेख है। स्तंभलेख VII में बरगद के वृक्ष, आम्र-वाटिकाएँ, आठ कोस की दूरी पर कुएँ और विश्रामगृह बनवाने की चर्चा है [3]। इन कार्यों की उपयोगिता प्रत्यक्ष है। वे यात्रियों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा बने और राजपथ-आधारित वाणिज्य को सुगम किया। गोखले ने अपने अशोक-अध्ययन में इस कल्याणकारी दृष्टि को राज्य की नैतिकता से जोड़कर देखा है [32]। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सीमावर्ती राज्यों में भी चिकित्सा-सेवा का दावा राज्य की "सॉफ्ट पावर" की पूर्व-आधुनिक अभिव्यक्ति जैसा लगता है।

9.5 विधि और दंड-व्यवस्था पर प्रभाव

स्तंभलेख IV और V के प्रावधान (दंड-समता, तीन दिन की मोहलत, वार्षिक रिहाई) न्याय-व्यवस्था में मानवीय तत्त्व जोड़ते हैं [3]। अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया और सेना भी बनाए रखी। यह अहिंसा और राज्य-संचालन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच के तनाव को दिखाता है। शिलालेख XIII में आटविक (वन-जनजाति) के लिए यह संकेत है कि अशोक के "अनुताप" के बावजूद यदि वे अपराध करेंगे तो शक्ति का प्रयोग संभव है [3]। इसलिए धम्म-नीति को "पूर्ण-अहिंसक" कहना ऐतिहासिक रूप से अतिशयोक्ति होगी।

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

9.6 स्त्रियाँ, वंचित समूह और राजकीय परिवार

धम्म-महामात्रों की सूची में स्त्रियों से संबद्ध महामात्र का उल्लेख (शिलालेख XII) और शिलालेख IX में स्त्रियों के बीच प्रचलित कर्मकांडों पर टिप्पणी दिखाती है कि नीति-निर्माण में स्त्री-जीवन को भी विषय बनाया गया [3]। प्रयाग (इलाहाबाद-कौशाम्बी) के "रानी अभिलेख" में द्वितीय रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख राजपरिवार की स्त्रियों की सार्वजनिक-धार्मिक भूमिका का दुर्लभ अभिलेखीय साक्ष्य है [3]। शिलालेख V में बंदियों, वृद्धों और संकटग्रस्तों के कल्याण की बात वंचित वर्गों के प्रति राज्य की चिंता को दर्शाती है। पर ये सब राज्य के आदर्श-कथन हैं। दलित और श्रमिक वर्गों की वास्तविक सामाजिक स्थिति में उनसे कितना परिवर्तन आया, इसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं [13]।

9.7 भाषा, लिपि और संचार पर प्रभाव

अशोक ने जन-भाषा (प्राकृत) में अभिलेख लिखवाए, स्थानीय लिपियों और भाषाओं (खरोष्ठी, यूनानी, अरामाइक) का प्रयोग किया, और उन्हें सार्वजनिक स्थलों, मार्गों और तीर्थ-स्थानों पर स्थापित करवाया। इससे शासन-आदेशों का सार्वजनिक पठन और श्रवण संभव हुआ। वृहद् शिलालेख IV में "भेरी-घोष के स्थान पर धम्म-घोष" की बात प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि राज्य की आवाज़ अब युद्ध के नगाड़े की जगह नैतिक संवाद की भाषा बोलेगी [3]। अभिलेखों में लेखकों (लिपिकार) और उत्कीर्णन-कर्मियों की उपस्थिति, तथा एक अभिलेख में लिपिकार का नाम (चपड) मिलना, शासन में लेखन-संस्कृति की गहराई का संकेत है [22]। इस अर्थ में अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में सार्वजनिक लेखन की सबसे आरंभिक बड़ी परंपराओं में गिने जाते हैं।

9.8 बौद्ध धर्म का प्रसार और बाहरी संपर्क

परंपरा के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और उसके बाद विभिन्न दिशाओं में प्रचारक भेजे गए, जिनमें महेंद्र का श्रीलंका-गमन प्रसिद्ध है [4,15]। इन कथाओं की पुष्टि अशोक के अपने अभिलेखों से सीधे नहीं होती। परंतु धम्म-यात्राओं का वर्णन और यवन राजाओं के संदर्भ में धम्म-विजय की चर्चा यह बताती है कि अशोक ने अपने विचारों के प्रसार को राजनयिक आयाम दिया। हिमांशु प्रभा रे के समुद्री-व्यापार और बौद्ध धर्म पर अध्ययन इस ओर संकेत करते हैं कि बौद्ध संस्थाएँ और व्यापारिक नेटवर्क एक-दूसरे को बल देते थे [33]। इस दृष्टि से मौर्य काल में मार्गों की सुरक्षा और विश्रामगृहों जैसे कदम धर्म-प्रसार और व्यापार, दोनों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाते हैं। साँची जैसे स्थलों की विशाल स्तूप-परंपरा की नींव को भी अशोक-काल से जोड़ा जाता है। पर "84,000 स्तूपों" की परंपरा किंवदंती है और उसे तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता [15,22]।

9.9 प्रभाव के प्रमाण की सीमाएँ

धम्म के सामाजिक प्रभाव को आँकते समय तीन सीमाएँ ध्यान रखनी चाहिए।

पहली, अभिलेख शासक की आवाज़ हैं। उनमें जनता की प्रतिक्रिया नहीं दिखती। कोई समकालीन ब्राह्मणीय ग्रंथ अशोक का नाम लेकर उनकी नीतियों पर बहस नहीं करता, जो एक उल्लेखनीय मौन है [1]।

दूसरी, स्थानीय स्तर पर अनुपालन के प्रमाण दुर्लभ हैं। पुरातात्त्विक साक्ष्य से यह नहीं पता चलता कि एक गाँव में धम्म ने दैनिक व्यवहार को कैसे बदला [22]।

तीसरी, मौर्य साम्राज्य के अशोक के बाद लगभग पचास वर्षों में विघटन ने धम्म-संस्थाओं के दीर्घकालिक राजकीय समर्थन को कमज़ोर किया। इससे सामाजिक प्रभाव की स्थायित्व-संबंधी समीक्षा कठिन हो जाती है [1,10]।

इसलिए प3 की पुष्टि होती है। नीतिगत और सांस्कृतिक स्तर पर प्रभाव अधिक स्पष्ट है, जबकि जन-स्तरीय गहराई अनुमान-आधारित रहती है।

10. विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण

10.1 बौद्ध-परंपरागत दृष्टिकोण

बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बने। हत्यारे, क्रूर शासक का परिवर्तन बौद्ध चिंतन का आदर्श कथानक बन गया [15]। इस दृष्टि में धम्म बौद्ध धर्म का प्रसार-कार्यक्रम है और अशोक का जीवन उसका उदाहरण। लाभ यह है कि यह परंपरा अशोक की स्मृति को जीवित रखती है। हानि यह कि कथाएँ चमत्कार और नैतिक उपदेश से लदी हैं, जो अभिलेखीय अशोक से बहुत भिन्न व्यक्तित्व दिखाती हैं [15,16]।

10.2 राष्ट्रवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण

इस दृष्टिकोण में अशोक "राष्ट्रीय एकता" और सार्वभौमिक मानवता के प्रतीक हैं [8]। यह छवि औपनिवेशिक काल में भारतीय अस्मिता के निर्माण में सहायक थी और अशोक स्तंभ का आधुनिक भारतीय राज्य-प्रतीक बनना इसका प्रतीकात्मक विस्तार है। पर इस पाठ में साम्राज्य की विविधता और उसकी असमान पहुँच का विश्लेषण दब जाता है [10,16]।

10.3 सामाजिक-आर्थिक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण

इस धारा के अनुसार धम्म को उसके समय के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों, जैसे नगरों का विकास, व्यापार, और वर्ण-आधारित तनाव, के संदर्भ में देखना चाहिए [11–13]। धम्म को कहीं-कहीं एक ऐसी वैचारिक व्यवस्था माना गया है जो सामाजिक अशांति को नैतिक शिक्षा के माध्यम से थामती है। इसकी शक्ति भौतिक संदर्भ पर बल में है। सीमा यह है कि अशोक के व्यक्तिगत पश्चात्ताप और नैतिक आग्रह के आध्यात्मिक पक्ष को कम महत्त्व मिलने का जोखिम रहता है।

10.4 ब्राह्मणीय-प्रतिक्रिया सिद्धांत

इस पुराने सिद्धांत के अनुसार अशोक की पशु-बलि विरोधी नीति और ब्राह्मणों के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप ने पुरोहित वर्ग को नाराज़ किया, जिसकी परिणति पुष्यमित्र शुंग के तख़्तापलट में हुई। थापर ने इस सिद्धांत का विस्तार

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

से परीक्षण किया और इसे अपर्याप्त माना। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणों और श्रमणों दोनों के सम्मान की बात करते हैं, और मौर्य पतन के प्रशासनिक-आर्थिक कारण अधिक बहुआयामी हैं [1]। इसलिए यह सिद्धांत बहुत सीमित साक्ष्य पर टिका दिखता है।

10.5 संशोधनवादी दृष्टिकोण

थापर के अनुसार धम्म एक ऐसी सामाजिक-नैतिक संहिता थी जो विविध जनसमुदायों वाले साम्राज्य को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। उनके विश्लेषण में धम्म केवल धार्मिक भावना का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक विवेक का भी उत्पाद है [1,19]। यह व्याख्या धम्म-महामात्र, अनुसंयान और लोक-संवाद जैसे प्रशासनिक साधनों की व्याख्या के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी कमज़ोरी यह है कि यह अशोक के व्यक्तिगत नैतिक विकास को गौण न बना दे।

10.6 केंद्रीकरण-विषयक बहस

नीलकंठ शास्त्री की परंपरा में मौर्य प्रशासन को सुदृढ़ और केंद्रीकृत माना गया है [10]। दूसरी ओर फ़ुस्समान और थापर क्षेत्र-भेद और सीमित नियंत्रण पर बल देते हैं [14,19]। अभिलेखों में प्रांतीय कुमारों का उल्लेख, आटविकों के लिए चेतावनी और क्षेत्रीय भाषाओं में अभिलेख, ये तीनों तथ्य दूसरी दृष्टि का समर्थन करते हैं [3]।

10.7 यूनानी-तुलनात्मक दृष्टिकोण

कंधार के अभिलेखों में धम्म का "यूसेबिया" के रूप में अनुवाद और शिलालेख XIII में यवन राजाओं का उल्लेख अशोक के साम्राज्य को हेलेनिस्टिक विश्व के संदर्भ में रखते हैं [3,30]। इस दृष्टि से धम्म केवल भारतीय संदर्भ की चीज़ नहीं, बल्कि उस समय की अंतर-सांस्कृतिक राजनय का हिस्सा भी है। यह मत अनुवाद-आधारित संकेतों पर टिका है, अतः इसके निष्कर्ष सतर्कता से निकाले जाने चाहिए।

10.8 उत्तर-औपनिवेशिक और स्मृति-अध्ययन

"रीइमेजिनिंग अशोक" इस बात पर बल देता है कि अशोक की छवि हर युग में नई ज़रूरतों के अनुसार बनी। मध्ययुगीन बौद्ध-जगत में वे आदर्श धर्मराज थे, औपनिवेशिक काल में वे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बने, और आधुनिक राष्ट्र-राज्य में वे शांति व सहिष्णुता का प्रतीक हैं [16]। यह दृष्टिकोण याद दिलाता है कि अशोक पर हर लेखन अपने समय की चिंताओं से रँगा होता है। यह इस शोध-पत्र के प्रति भी सतर्कता का आग्रह है।

तालिका 7: विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना (सार)

पक्ष	**धम्म की व्याख्या**	**प्रशासन की व्याख्या**	**सामाजिक प्रभाव का आकलन**
बौद्ध-परंपरागत [15]	बौद्ध धर्म का प्रसार	राजा की नैतिक-धार्मिक सत्ता	अत्यंत व्यापक (कथात्मक)

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

राष्ट्रवादी [8,10]	सार्वभौमिक धर्म	सुदृढ़ केंद्रीकृत राज्य	सकारात्मक व व्यापक
सामाजिक-आर्थिक [11–13]	सामाजिक तनावों का समाधान	राज्य-नियंत्रित अर्थ-तंत्र	संदर्भ-निर्भर व सीमित
संशोधनवादी [1,14,19]	राजनीतिक-सामाजिक एकीकरण	क्षेत्र-भेदी, बहुस्तरीय	नीतिगत स्तर पर स्पष्ट; जन-स्तर पर अनिश्चित
ब्राह्मणीय-प्रतिक्रिया [1]	ब्राह्मण-विरोधी नीति	पतन का कारण नीति	साक्ष्य-अपर्याप्त
स्मृति-अध्ययन [16]	युगानुसार निर्मित प्रतीक	प्रासंगिक नहीं	ऐतिहासिक आकलन की जगह ग्रहण का अध्ययन

11. समन्वित विश्लेषण: प्रशासन और धम्म का अंतर्संबंध

अब तक के विवरण से स्पष्ट है कि मौर्य प्रशासन और अशोक का धम्म एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे। तीन स्तरों पर यह संबंध देखा जा सकता है।

पहला, संस्थागत स्तर। धम्म-महामात्र, राजुक-अधिकार और अनुसंयान जैसे उपाय प्रशासनिक ढाँचे के भीतर धम्म को स्थापित करते हैं [3]। इससे धम्म एक निजी आस्था से बढ़कर राजकीय कार्यक्रम बन जाता है। यहाँ अर्थशास्त्र का सूचना-आधारित, निरीक्षण-केंद्रित प्रशासन एक "नैतिक" रूप में पुनर्नियोजित होता दिखता है [2,3]।

दूसरा, संचार-रणनीति के स्तर पर। प्राकृत, स्थानीय लिपियों और सार्वजनिक स्थलों का उपयोग यह दिखाता है कि अशोक का उद्देश्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि प्रजा को संबोधित करना था। "भेरी-घोष" की जगह "धम्म-घोष" का प्रतीक इस बदली रणनीति का सार है [3]। इससे शासन की वैधता बल-प्रयोग से हटकर नैतिक सहमति पर टिकाने का प्रयास दिखता है।

तीसरा, सामाजिक एकीकरण के स्तर पर। विविध संप्रदायों, भाषाओं और जनजातियों वाले साम्राज्य में साझा नैतिक भाषा एक एकीकरणकारी तत्त्व हो सकती थी [1,19]। सहिष्णुता, अहिंसा और जन-कल्याण के मूल्य किसी एक जाति या संप्रदाय की सीमा से बाहर जाकर सार्वजनिक स्वीकार्यता पा सकते थे।

तालिका 8: प्रशासनिक उपकरण और धम्म के सामाजिक उद्देश्य

प्रशासनिक उपकरण	परंपरागत कार्य	धम्म-युग में जुड़ा नया आयाम
अनुसंयान (निरीक्षण-यात्रा)	राजस्व/कानून-व्यवस्था की निगरानी	धम्म-उपदेश और जन-संपर्क
महामात्र	उच्चाधिकारी/प्रशासक	धम्म-महामात्र: कल्याण और सांप्रदायिक सद्भाव
प्रतिवेदक (सूचना-तंत्र)	गुप्त सूचना	जन-आवश्यकताओं की तत्काल सूचना
दंड-न्याय व्यवस्था	दंड की कठोरता/निवारण	समता, मोहलत, रिहाई

SHODH PRAKASHAN
An International Open Access, Peer Reviewed, Refereed Journal
ISSN : 2583-9861
Vol. 2, Issue 6, December 2024
Available Online : http://shodhprakashan.in/

अभिलेख/राजकीय आदेश	आदेश-प्रसार	धम्म का सार्वजनिक संवाद
अवसंरचना (मार्ग)	सैन्य/व्यापार-सुगमता	वृक्ष, कुएँ, विश्रामगृह, चिकित्सा

इस समन्वित विश्लेषण की एक स्वाभाविक सीमा भी है। प्रशासन को सुविधाजनक ढंग से "धम्म-प्रसार का माध्यम" मान लेने से अशोक के व्यक्तिगत नैतिक रूपांतरण की भूमिका कम आँकी जा सकती है। इसके विपरीत, धम्म को केवल आस्था मान लेने से उसकी राजनीतिक कार्यक्षमता अनदेखी हो जाती है। सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष यह है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे में गुँथे थे। यह उसी बहुआयामी तस्वीर से मेल खाता है जो हाल के अध्ययनों में उभरी है [5,16,18]।

12. निष्कर्ष

इस अध्ययन ने मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना और अशोक के धम्म को एक-दूसरे से जोड़कर देखा और निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए।

पहला, **प्र.1 और प1 के संदर्भ में:** मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र के आदर्शों और अभिलेखों की गवाही के अनुसार श्रेणीबद्ध, विभागीकृत और सूचना-आधारित था। तीर्थ, अध्यक्ष, प्रांतीय कुमार-महामात्र, नगर-समितियाँ और गुप्तचर, इन सबने मिलकर शासन का जाल बनाया। परंतु यह जाल साम्राज्य में समान रूप से सघन नहीं था। मगध का केंद्रक-क्षेत्र अधिक नियंत्रित था, जबकि परिधीय और वन-क्षेत्र अपेक्षाकृत स्वायत्त बने रहे [1,14,19]।

दूसरा, **प्र.2 के संदर्भ में:** अशोक ने प्रशासन में नैतिक-कल्याणकारी आयाम जोड़ा। धम्म-महामात्रों की नियुक्ति, राजुकों को अधिकार, अनुसंयान का धम्म-उपदेश से जुड़ाव और न्याय-प्रक्रिया में समता तथा मानवीय राहत इसके उदाहरण हैं [3]।

तीसरा, **प्र.3 और प3 के संदर्भ में:** धम्म का प्रभाव सहिष्णुता, पशु-संरक्षण, जन-कल्याण और अवसंरचना, सार्वजनिक संवाद तथा अंतर्राजकीय संबंधों में सर्वाधिक स्पष्ट है। पर इस प्रभाव की मापन-योग्य जन-स्तरीय गहराई के प्रमाण सीमित हैं, क्योंकि स्रोत मुख्यतः राज्य की ओर से बोलते हैं [1,22]।

चौथा, **प्र.4 और प2 के संदर्भ में:** धम्म को केवल धार्मिक नीति मानना अधूरा है। वह बौद्ध प्रेरणा से उपजी, पर संप्रदाय-निरपेक्ष, सामाजिक-राजनीतिक आचार-संहिता थी, जिसे प्रशासनिक साधनों के सहारे कार्यान्वित किया गया। कंधार का यूनानी रूपांतरण इसकी सार्वभौमिक-अनुवादनीयता का संकेत है [18,30]।

पाँचवाँ, इतिहासलेखन के स्तर पर, अशोक की छवि हर युग की ज़रूरतों के अनुसार बनती रही है। इसलिए किसी भी आधुनिक व्याख्या को अपने वैचारिक संदर्भ के प्रति सजग रहना चाहिए [16]।

भावी शोध हेतु सुझाव: (क) क्षेत्रीय पुरातात्त्विक स्थलों, जैसे कर्नाटक, बंगाल और उत्तर-पश्चिम, के तुलनात्मक अध्ययन से प्रशासनिक पहुँच का नक्शा बनाना; (ख) अभिलेखों में प्रयुक्त शब्दावली का भाषाई विश्लेषण; (ग)

अर्थशास्त्र की बहुस्तरीयता के आलोक में मौर्यकालीन अंशों की पहचान का प्रयास; (घ) श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया की बौद्ध परंपराओं में अशोक की स्मृति का तुलनात्मक अध्ययन।

संदर्भ

1. Thapar R. Asoka and the decline of the Mauryas. London: Oxford University Press; 1961.
2. Kangle RP. The Kautilīya Arthaśāstra. Part II: an English translation with critical and explanatory notes. Bombay: University of Bombay; 1963.
3. Hultzsch E. Inscriptions of Asoka. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 1. Oxford: Clarendon Press; 1925.
4. Allen C. Ashoka: the search for India's lost emperor. London: Little, Brown; 2012.
5. Lahiri N. Ashoka in ancient India. Cambridge (MA): Harvard University Press; 2015.
6. Olivelle P. King, governance, and law in ancient India: Kautilya's Arthaśāstra. New York: Oxford University Press; 2013.
7. Smith VA. Asoka: the Buddhist emperor of India. Oxford: Clarendon Press; 1901.
8. Mookerji R. Asoka. London: Macmillan; 1928.
9. Bhandarkar DR. Asoka. Calcutta: University of Calcutta; 1925.
10. Sastri KAN, editor. Age of the Nandas and Mauryas. Delhi: Motilal Banarsidass; 1967.
11. Kosambi DD. An introduction to the study of Indian history. Bombay: Popular Book Depot; 1956.
12. Sharma RS. Aspects of political ideas and institutions in ancient India. Delhi: Motilal Banarsidass; 1959.
13. Sharma RS. Śūdras in ancient India: a social history of the lower order down to circa A.D. 600. Delhi: Motilal Banarsidass; 1958.
14. Fussman G. Central and provincial administration in ancient India: the problem of the Mauryan empire. Indian Hist Rev. 1987–88;14(1–2):43–72.
15. Strong JS. The legend of King Aśoka: a study and translation of the Aśokāvadāna. Princeton: Princeton University Press; 1983.
16. Olivelle P, Leoshko J, Ray HP, editors. Reimagining Asoka: memory and history. New Delhi: Oxford University Press; 2012.
17. Trautmann TR. Kauṭilya and the Arthaśāstra: a statistical investigation of the authorship and evolution of the text. Leiden: Brill; 1971.

18. Singh U. A history of ancient and early medieval India: from the Stone Age to the 12th century. New Delhi: Pearson Education; 2008.
19. Thapar R. Early India: from the origins to AD 1300. London: Allen Lane; 2002.
20. Sircar DC. Inscriptions of Asoka. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting; 1957.
21. Dhammika S. The edicts of King Asoka: an English rendering. Kandy: Buddhist Publication Society; 1993.
22. Falk H. Aśokan sites and artefacts: a source-book with bibliography. Mainz: Verlag Philipp von Zabern; 2006.
23. McCrindle JW. Ancient India as described by Megasthenês and Arrian. Calcutta: Thacker, Spink; London: Trübner; 1877.
24. Taagepera R. Size and duration of empires: growth-decline curves, 600 B.C. to 600 A.D. Soc Sci Hist. 1979;3(3–4):115–38.
25. Kulke H, Rothermund D. A history of India. 4th ed. London: Routledge; 2004.
26. Rangarajan LN. Kautilya: the Arthashastra. New Delhi: Penguin Books India; 1992.
27. Basham AL. The wonder that was India. London: Sidgwick & Jackson; 1954.
28. Bongard-Levin GM. Mauryan India. New Delhi: Sterling Publishers; 1985.
29. Jha DN. Ancient India in historical outline. Rev ed. New Delhi: Manohar; 1998.
30. Schlumberger D, Robert L, Dupont-Sommer A, Benveniste É. Une bilingue gréco-araméenne d'Asoka. J Asiatique. 1958;246:1–48.
31. Chakravarti U. The social dimensions of early Buddhism. Delhi: Oxford University Press; 1987.
32. Gokhale BG. Asoka Maurya. New York: Twayne Publishers; 1966.
33. Ray HP. The winds of change: Buddhism and the maritime links of early South Asia. Delhi: Oxford University Press; 1994.